उत्तर प्रदेश नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994[1]

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यामान हैं जिनके कारण उसके लिये यह आवश्यक हो गया है कि तत्काल नियमावली बनायी जाय;

अतएव, अब उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 23 की उपधारा (3) और उत्तर प्रदेश नगर अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 39 के साथ पठित 1959 के उक्त अधिनियम की धारा 540 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात—

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रवर्तन और प्रारम्भ— (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह उत्तर प्रदेश में समस्त नगर निगमों पर लागू होगी।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषायें— इस नियमवाली में,—

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है,

(2) "1950 का अधिनियम" का तात्पर्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से है,

(3) "विधान सभा" का तात्पर्य राज्य विधान सभा से है,

(4) "मुख्य निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य राज्य में अधिनियम के अधीन निर्वाचन नामावली के तैयार करने और पुनरीक्षण के पर्यवेक्षण के लिये अधिनियम की धारा 39 के अधीन आयोग द्वारा इस रूप में पदाभिहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) से है,

(5) "आयोग" का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग से है,

(6) "निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" का तात्पर्य निगम में किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली को तैयार करने उसको प्रकाशित और पुनरीक्षित करने के लिये आयोम द्वारा इस रूप में पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट अधिकारी से है,

(7) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्रों से है,

(8) "नामावली" का तात्पर्य निर्वाचन नामावली से है।

3. नगरपालिका द्वारा व्यय का वहन किया जाना—किसी नगर निगम क्षेत्र में नामावली तैयार, प्रकाशित और पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में उपगत व्यय राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशित के सिवाय सम्बन्धित नगर निगम पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दी गयी रीति से और उस सीमा तक भारित होंगे और उससे वसूली योग्य होंगे।

4. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता—निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, आयोग द्वारा इस निमित्त किये गये किसी निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, वार्ड के लिये निर्वाचक नामावली तैयार और पुनरीक्षित करने के लिये ऐसे व्यक्तियों को, जैसे वह उचित समझे, सेवायोजित कर सकता है।

नामावली का तैयार किया जाना और प्रकाशन

5. नामावली का प्ररूप और भाषा—किसी वार्ड की नामावली हिन्दी में देवनागरी लिपि में उस प्ररूप में तैयार की जायगी जिसमें नामावली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये 1950 के अधिनियम के अधीन तैयार की जाती है।

---

1. यह नियमावली अधिसूचना संख्या 3796 ए/9-7-1994, दिनांक 14 नवम्बर, 1994 द्वारा उ० प्र० गजट में दिनांक 14 नवम्बर, 1994 को प्रकाशित हुई।

6. नामावली का तैयार किया जाना—(1) आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए किसी निगम में प्रत्येक वार्ड के लिये नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, 1950 के अधिनियम के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली को, जहाँ तक उसका सम्बन्ध उस वार्ड के क्षेत्र से हो, अंगीकार करते हुए तैयार की जायगी:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे वार्ड के लिए नामावली में ऐसे वार्ड के निर्वाचन के लिए नाम - निर्देशन करने के लिए अन्तिम दिनांक के पश्चात और ऐसे निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व कोई परिवर्तन, संशोधन या शुद्धि सम्मिलित नहीं की जायगी।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली पर हस्ताक्षर करेगा और अपनी मुहर लगाये।

7. नामावली के आलेख का प्रकाशन—(1) जैसे ही किसी वार्ड के लिये नामावली तैयार हो जाये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उसके आलेख को नगर निगम के कार्यालय पर चिपका कर और उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराके प्रकाशित करेगा।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वार्ड के क्षेत्र में पर्याप्त परिचालन वाले किसी हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके इस तथ्य को अधिसूचित करेगा कि वार्ड के लिये नामावली प्रकाशित कर दी गयी है और उसकी प्रति का नि:शुल्क निरीक्षण कार्यालय समय के दौरान नगर निगम कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट नामावली की प्रति नि:शुल्क निरीक्षण के लिये कार्यालय समय के दौरान उपनियम (1) के अधीन इसके प्रकाशन के दिनांक से सात दिन की अवधि तक उपलब्ध कराई जाएगी।

नामावली का पुनरीक्षण

8. वार्ड की नामावली में नामों को सम्मिलित किये जाने के दावे—कोई व्यक्ति—

(क) जिसका नाम वार्ड के क्षेत्र से सम्बन्धित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित हो किन्तु वार्ड की नामावली में सम्मिलित नहीं किया गया है, या

(ख) जिसका नाम गलती से किसी अन्य वार्ड की नामावली में सम्मिलित कर लिया गया है, या

(ग) जिसका नाम वार्ड के क्षेत्र से सम्बन्धित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में या वार्ड की नामावली में सम्मिलित नहीं किया गया है किन्तु जो उक्त वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अन्यथा अर्ह है, या

(घ) जिसका नाम किसी अनर्हता के कारण वार्ड की नामावली से काट दिया गया है किन्तु जो यह दावा करता है कि उसकी अनर्हता को, अब दूर हो गई है, अपना नाम वार्ड की नामावली में सम्मिलित किये जाने के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन दे सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि नियम 7 के उप-नियम (1) के अधीन वार्ड की नामावली के प्रकाशन के दिनांक से सात दिन के पश्चात् दिये गये आवेदन मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अन्यथा निर्देशित के सिवाय, विचार नहीं किया जायेगा:

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड के लिये सदस्य के निर्वाचन की अपेक्षा करने की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात इस नियम के अधीन किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

9. वार्ड की नामावली में प्रविष्टियों पर आपत्तियाँ—(क) जो ऐसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में अपने बारे में किसी ब्यौरे पर आपत्ति करना चाहता हो और उसकी शुद्धि चाहता हो, या

(ख) जो वार्ड की नामावली में किसी अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने पर इस आधार पर

आपत्ति करे कि वार्ड के क्षेत्र से सम्बन्धित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में उस व्यक्ति का नाम सम्मिलित नहीं है, या

(ग) जो वार्ड की नामावली में किसी नाम को रखने पर इस आधार पर आपत्ति करे कि प्रश्नगत व्यक्ति वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अधिनियम की धारा 37 के अधीन अनर्ह हो गया है, नियम 7 के उप-निमय (1) के अधीन वार्ड की नामावली के प्रकाशित होने के दिनांक से सात दिन के भीतर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, यथास्थिति, प्रविष्टि के व्यौरे की शुद्धि के लिये या नाम को हटा देने के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड के लिये सदस्य के निर्वाचन की अपेक्षा करने की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. दावों और आपत्तियों के सम्बन्ध में व्यौरे—(1) नियम 8 के अधीन प्रत्येक दावा या आवेदन प्रपत्र 1-क में होगा जिसे यथास्थिति, दावेदार या आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायगा और ऐसे एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा जिसका नाम पहले से ही वार्ड की नामावली के उस भाग में सम्मिलित हो जिसमें दावेदार अपना नाम सम्मिलित कराने का इच्छुक है और उसे निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस निमित्त पदाभिहित करे प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) उक्त दा॰ में जहाँ आवश्यक हो, अर्हताओं सहित वे आधार जिन पर नाम को सम्मिलित किये जाने की मांग की गई है, दिये जायेंगे।

(3) नियम 9 के खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक आपत्ति प्रपत्र 1-ख में होगी और उसे उप-नियम (1) के अनुसार हस्ताक्षरित किया जायेगा। नियम 9 के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन प्रत्येक आपत्ति, यथास्थिति क्रमश: प्रपत्र 1-ग या 1-घ में होगी और उसे उप-नियम (1) के अनुसार हस्ताक्षरित और प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

प्रपत्र 1-ग या 1-घ में आपत्ति दो प्रतियों में दी जायेगी, जिसकी एक प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जायेगी, जिसके विरुद्ध आपत्ति की जाय।

(4) आपत्ति में उस व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसका नाम सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में वह आपत्ति ले, या व्यौरों को जिनकी शुद्धि चाही गई है, नामावली में दर्ज सभी व्यौरे और उन आधारों को, जिन पर आपत्ति की गई है, उल्लिखित किया जायेगा।

11. पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रक्रिया—नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन पदाभिहित प्रत्येक अधिकारी नियम 8 और 9 में निर्दिष्ट आवेदन-पत्रों की एक सूची रखेगा और आवेदन-पत्रों को ऐसी अभ्युक्तियों के साथ, यदि कोई हो, जैसी वह उचित समझे, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अग्रसारित कर देगा।

12. कतिपय दावों और आपत्तियों का अस्वीकृत किया जाना—नियम 8 या 9 के अधीन कोई आवेदन-पत्र जो इस नियमावली में विहित समय के भीतर या प्रपत्र में या रीति में न दिया गया हो, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा।

13. नोटिस और उसकी तामीली—(1) उन मामलों के सिवाय, जिनमें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दावे या आपत्ति की ग्राह्यता से प्रथमदृष्टया संतुष्ट हो, प्रत्येक व्यक्ति जिसका दावा या आपत्ति प्राप्त की गयी हो या दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने वाले उसके अभिकर्ताओं पर प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर जिसका नाम सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी है, प्रपत्र-1 में एक नोटिस तामील की जायेगी, जिसमें वह स्थान व समय विनिर्दिष्ट होगा जहाँ और जब दावे या आपत्ति की सुनवाई की जायेगी और उसे या उसके अभिकर्त्ता को ऐसे साक्ष्य के साथ यदि कोई हो, जिस वह प्रस्तुत करना चाहा हो, उपस्थित होने का निदेश दिया जायेगा।

(2) उस व्यक्ति को, जिसका नाम सम्मिलित करने के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी है नोटिस के साथ आपत्ति की एक प्रति दी जायेगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन नोटिस, यदि सम्भव हो, वैयक्तिक रूप में तामील की जायेगी और वैयक्तिक रूप से तामील न होने पर वार्ड के भीतर सम्बन्धित व्यक्ति के निवास स्थान पर या अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर उसकी एक प्रति चिपकाकर तामील की जायेगी।

(4) वैयक्तिक या अन्यथा तामीली का प्रमाण-पत्र ऐसी तामील के तथ्य का निश्चायक प्रमाण-पत्र समझा जायेगा।

14. दावे और आपत्तियाँ—(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रस्तुत किये गये प्रत्येक दावे या आपत्ति की, जिसके सम्बन्ध में नोटिस दी गई हो, संक्षिप्त जाँच करेगा और उस पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा और अपने विनिश्चय के अनुसार वार्ड की नामावली में कोई वृद्धि, शुद्धि या लोप का आदेश देगा और ऐसी वृद्धि, शुद्धि या लोप तद्नुसार किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड में निर्वाचन के लिये नाम-निर्देशन किये जाने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन की समाप्ति के पूर्व ऐसी कोई वृद्धि, शुद्धि या लोप नहीं किया जायेगा।

(2) सुनवाई में उस व्यक्ति को जिसे ऐसी नोटिस जारी की गयी हो और किसी अन्य व्यक्ति को, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की राय में उसकी सहायता कर सकता है, उपस्थित होने और सुने जाने का हकदार होगा।

(3) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने विवेकानुसार—

(क) किसी व्यक्ति से जिसे ऐसी नोटिस जारी की गई है, अपने समक्ष स्वयं उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है,

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा शपथ पर साक्ष्य देने की अपेक्षा कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये शपथ दिला सकता है।

टिप्पणी—जाँच के प्रयोजनों के लिये नियम 7 के अधीन प्रकाशित नामावली को शुद्ध माना जायेगा।

(4) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र-2 में दावों और आपत्तियों की एक सूची रखी जायेगी।

15. वार्ड के लिये नामावली का अन्तिम प्रकाशन—(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तद्पश्चात् नियम 14 के अधीन अपने विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए संशोधनों की एक सूची तैयार करेगा और नामावली को संशोधनों की सूची के साथ उसकी प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाकर प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसे प्रकाशन पर, संशोधनों की सूची के साथ पठित नामावली, वार्ड की निर्वाचक नामावली होगी।

16. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संशोधन—(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समय-समय पर अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (2) की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

(2) आयोग के किसी निदेश के अधीन रहत हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी भी समय नामावली में किसी लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी त्रुटि को शुद्ध करने और दोहरी प्रविष्टियों को निकालने का आदेश दे सकता है और तद्नुसार ऐसी शुद्धि या निकालने की कार्यवाही की जायेगी।

17. संशोधनों आदि को किस प्रकार किया जायगा—(1) अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (5) के अधीन किसी वार्ड की नामावली में शुद्धि उसी रीति से की जायगी जिस रीति से 1950 के अधिनियम के अधीन निर्वाचक नामावलियों मे शुद्धियाँ की जाती हैं।

(2) मतदान के लिए अनर्ह व्यक्तियों के नामों का काटा जाना और अधिनियम की ारा 37 के अधीन ऐसी अनर्हता समाप्त होने के पश्चात् ऐसे नामों का पुनः स्थापन यथासम्भव उस रीति से किया जायेगा जो

1950 के अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन नामों को काटने और पुनः स्थापन के लिये विहित किया जाय।

(3) नियम 14 और नियम 16 के उप-नियम (2) के अधीन आदेशित संशोधनों को इस निमित्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के किसी सामान्य निदेश के अधीन रहते हुए वार्ड की नामावली और संशोधनों की सूची, यदि कोई हो, जो उक्त नामावली का भाग हो, में किया जायेगा।

(4) यदि नियम 8 के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दाव को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह उस व्यक्ति का नाम उस अन्य वार्ड की नामावली से तत्काल हटा देगा या हटवा देगा।

18. वार्डों के पुनः परिसीमन पर नामावली की तैयारी के लिए विशेष उपबन्ध—(1) यदि विधि के अनुसार किसी वार्ड का नवीन परिसीमन किया जाय और यदि ऐसे वार्ड की नामावली तैयार किए जाने की आत्यधिक आवश्यकता हो, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी यह निदेश दे सकता है कि उसे निम्नलिखित प्रकार से तैयार किया जायगा—

(क) ऐसे वर्तमान वार्डों या उनके भागों, जो नये वार्ड के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट हों, की नामावलियों को मिलाकर, और

(ख) इस प्रकार पूरी की गयी नामावली की व्यवस्था, क्रम-संख्या और शीर्षकों में समुचित परिवर्तन करके।

(2) इस प्रकार तैयार की गई नामावली को नियम 7 में विनिर्दिष्ट रीति से प्रकाशित किया जायगा और ऐसे प्रकाशन पर यह नये वार्ड की नामावली होगी।

19. वार्ड की नामावली का पुनरीक्षण—(1) किसी वार्ड की नामावली अधिनियम की धारा 40 के अधीन या तो विस्तारपूर्वक या संक्षिप्ततः या अंशतः विस्तारपूर्वक और अंशतः या संक्षिप्ततः, जैसा आयोग निर्दिष्ट करे, पुनरीक्षित की जायेगी।

(2) जहाँ किसी वर्ष में ऐसी नामावली विस्तारपूर्वक पुनरीक्षित की जानी हो वहाँ वह नये सिरे से तैयार की जायेगी और नियम 3 से 16 तक उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे वार्ड की नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(3) जहाँ किसी वर्ष में, ऐसी नामावली संक्षिप्ततः पुनरीक्षित की जानी हो वहाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी सूचना के आधार पर जो सुगमता से उपलब्ध हो, नामावली के सुसंगत भाग के लिये संशोधनों की एक सूची तैयार करवायेगा और संशोधनों की सूची के साथ नामावली के आलेख को प्रकाशित करवायेगा और नियम 6 से 16 तक के उपबन्ध ऐसे पुनरीक्षण के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी वार्ड की नामावली के प्रतम बार तैयार किये जाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(4) जब उपनियम (2) के अधीन पुनरीक्षित नामावली के आलेख के या उपनियम (3) के अधीन नामावली और संशोधनों की सूची के प्रकाशन और उपर्युक्त उपनियम (2) या (3) के साथ पटित निमय 15 के अधीन उनके अन्तिम प्रकाशन के बीच किसी समय अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी वार्ड की नामावली में किन्हीं नामों को सम्मिलित किये जाने का निदेश दिया जाय, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जब तक उसकी राय में ऐसे नामों को सम्मिलित किये जाने में कोई विधिमान्य आपत्ति न हो, वार्ड की पुनरीक्षित नामावली में उन नामों को सम्मिलित करवायेगा।

20. आदेशों के विरुद्ध अपील—(1) नियम 13, 14 या 19 के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरुद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ अपील करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति ने उस मामले पर, जो अपील की विषयवस्तु है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसको अभ्यावेदन करने के अपने अधिकार का लाभ नहीं उठाया है, वहाँ अपील नहीं की जा सकेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक अपील—

(क) अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होगी,

(ख) विनिश्चय के दिनांक से सात दिन के भीतर अपील अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी,

(ग) आदेश की प्रति जिसके विरुद्ध अपील की जाय और पाँच रुपये शुल्क के साथ, जो—

(एक) न्यायिकेतर स्टाम्प द्वारा, या

(दो) राजकीय कोषागार में जमा करके और ऐसी जमा की रसीद संलग्न करके, या

(तीन) ऐसी अन्य रीति से जैसा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निदेशित किया जाय, प्रस्तुत की जायेगी।

(3) इस नियम के अधीन केवल अपील प्रस्तुत किए जाने का यह प्रभाव न होगा कि कोई ऐसा कार्य रोक दिया जाए या स्थगित कर दिया जाए जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियम 15 के अधीन किया जाता है।

(4) अपील अधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय अन्तिम होगा, किन्तु जहाँ तक वह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय को उलटता है या उपान्तरित करता है वहाँ तक वह अपील में विनिश्चय के दिनांक से ही प्रभावी होगा।

(5) पूर्वगामी उपनियमों के अधीन रहते हुये, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली में ऐसे संशोधन करवायेगा जैसे इस नियम के अधीन अपील अधिकारी के विनिश्चय को प्रभावी करने के लिये आवश्यक हो।

प्रकीर्ण

21. नामावलियों की अवधि—नियम 6 के उपबन्धों के अधीन तैयार की गयी किसी वार्ड की नामावली नियम 15 के अधीन उसके प्रकाशित होने पर और नियम 16, 18 और 19 के अधीन उसमें किये गये संशोधनों, पुनरीक्षणों आदि के अधीन रहते हुए तुरन्त प्रवृत्त होगी और तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक वार्ड के लिए तत्पश्चात् तैयार की गयी नामावली प्रवृत्त न हो जाय।

22. नामावली आदि की अभिरक्षा और परिरक्षण—(1) नियम 8 के अधीन किये गये सभी दावे और नियम 9 के अधीन की गयी सभी आपत्तियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उन पर अभिलिखित निश्चयों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान पर, जैसा मुख्य निर्वाचक अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, वार्ड की नामावली के अगले पुनरीक्षण तक या नई तैयार की गई नामावली के प्रवृत्त होने तक, जो भी पहले हो, रखा जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड की नामावली के अतिरिक्त उसकी प्रतियाँ उतनी संख्या में जितनी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में और नगर निगम के कार्यालय में रखी जायगी। इन प्रक्रियाओं को मूल नामावली में किये गये संशोधनों के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जायगा।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रतियों को जमा करने के पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया जायगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति को उपनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट निर्वाचन-पत्रों का निरीक्षण करने और उनकी प्रमाणित प्रतियाँ ऐसी फीस का भुगतान करने पर प्राप्त करने का अधिकार होगा जैसी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

(5) प्रत्येक वार्ड की निर्वाचक नामावली की मुद्रित प्रतियाँ वार्ड की अगली नामावली के प्रकाशन तक जनता को विक्रय के लिए ऐसे मूल्य पर जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) किसी वार्ड की नामावली के प्रकाशन पर नयी नामावली के प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवृत्त नामावली को उतन वर्ष के लिए जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, संबंधित नगर निगम के अभिलेखों में जमा रखा जायगा।

प्रपत्र 1

(नियम 13 देखिये)

नोटिस

सेवा में,

दावेदार/दावेदार का अभिकर्ता
आपत्तिकर्ता/आपत्तिकर्ता का अभिकर्ता

____

विरोधी पक्षकार

....

....

....

नोटिस दी जाती है कि नगर निगम के वार्ड ....की नामावली के सम्बन्ध में, आपके द्वारा आपके नाम को सम्मिलित किये जाने के लिये प्रस्तुत दावे/आपत्ति की सुनवाई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष दिनांक..........................को................................ (स्थान)................................... (समय)...........................पर होगी, आपको निदेश दिया जाता है कि आप सुनवाई के समय, ऐसे साक्ष्य के साथ जिसे आप प्रस्तुत करना चाहें, उपस्थिति हों।

*निर्वाचक नामावली में आपका नाम सम्मिलित किये जाने पर जो आपत्ति की गई है उसकी एक प्रति साथ में भेजी जाती है।

....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

नोटिस मिली।

*आपत्ति की प्रति प्राप्त हुई।

....

जिस व्यक्ति पर नोटिस तामील
की जायगी उसके हस्ताक्षर

*यदि नोटिस दावेदार या आपत्तिकर्ता या इनमें से किसी के अभिकर्ता पर तामील की जाय, तो इसे काट दिया जाय।

तामील करने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट...

....

प्रपत्र 1-क

(नियम 8 और 10 देखिये)

नाम सम्मिलित किये जाने के लिए दावा/आवेदन-पत्र

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

वार्ड ....

महोदय,

मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा नाम उपर्युक्त वार्ड के भाग संख्या .... से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाय।

मेरा नाम (पूरा)..

मेरे पिता/माता/पति का नाम...

मेरे निवास स्थान का व्यौरा निम्नलिखित है—

मकान संख्या..

मर्ग/मुहल्ला...

वार्ड...

नगर...

मैं एतद्द्वारा अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ घोषण करता हूँ कि—

(1) मैं भारत का नागरिक हूँ..

(2) मेरी आयु गत पहली जनवरी को........................वर्ष और..........................मास थी।

(3) मैं ऊपर दिये गये पते पर मामूली तौर से निवासी हूँ।

(4) मैंने किसी अन्य वार्ड की नामावली में अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन नहीं किया है।

(5) मेरा नाम इस या किसी अन्य वार्ड की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है।

मेरा नाम...वार्ड की निर्वाचक नामावली में नीचे उल्लिखित पते के अधीन सम्मिलित किया गया होगा और यदि ऐसा है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसको उक्त निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाय।

स्थान.................................

दिनांक ....

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

मैं निर्वाचक नामावली के उस भाग में सम्मिलित एक निवाचक हूँ जिसमें दावेदार ने अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन किया है अर्थात्..से सम्बन्धित भाग संख्या............................जिसमें मेरी क्रम-संख्या.................................. है। मैं इस दावे का समर्थन करता हूँ और इस पर प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

निर्वाचक के हस्ताक्षर

(पूरा नाम)..................................

प्रपत्र 1-ख

(नियम 9 और 10 देखिये)

किसी प्रविष्टि में दिये गये व्यौरे पर आपत्ति

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

..............................वार्ड

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि मुझसे संबंधित प्रविष्टि जो वार्ड संख्या........................... की नामावली के भाग...............................में क्रम-संख्या............................ पर........................... .... इस रूप में है, शुद्ध नहीं है। इसे शुद्ध किया जाय जिससे व्यौरे निम्न प्रकार से पढ़े जायें—

....

....

स्थान.......................................

दिनांक.....................................

निर्वाचक का हस्ताक्षर या

अंगूठे का निशान

प्रपत्र 1-ग

(नियम 9 और 10 देखिये)

नाम सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

..................................वार्ड

महोदय,

वार्ड संख्या................................की नामावली के भाग संख्या ....में क्रम-संख्या..........................पर श्री...के नाम को सम्मिलित किये जाने पर निम्नलिखित कारण/कारणों से आपत्ति करता हूँ:—

....

....

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

इस वार्ड के लिये नामावली में मेरा नाम निम्न प्रकार से सम्मिलित किया गया है:—

पूरा नाम..

पिता/पति/माता का नाम..

क्रम-संख्या...

भाग संख्या...

दिनांक........................ *आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान*

डाक का पता.......................................

....

मैं वार्ड संख्या...की नामावली के उसी भाग में सम्मिलित एक निर्वाचक हूँ जिसमें आपत्तिजनक नाम विद्यमान है वह नाम—

अर्थात्...से सम्बन्धित.. भाग संख्या.............................जिसमें मेरी क्रम-संख्या...हैं।

मैं इस आपत्ति का समर्थन करता हूँ और इस पर प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

निर्वाचक के हस्ताक्षर

पूरा नाम...

प्रपत्र 1-घ

(नियम 9 और 10 देखिये)

नाम के रखने पर आपत्ति

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

...............................वार्ड

महोदय,

वार्ड संख्या.................................की नामावली के भाग संख्या ....में क्रम-संख्या...................................के नाम को रखने पर मैं इस आधार पर आपत्ति करता हूँ कि वह अधिनियम की धारा 12-घ के अधीन उस वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये निम्नलिखित कारण/कारणों से अनर्ह हो गया है:—

....

....

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। उस वार्ड के लिये नामावली में मेरा नाम निम्न प्रकर से सम्मिलित किया गया है:

पूरा नाम..

पिता/पति/माता का नाम..

क्रम-संख्या...

भाग संख्या...

दिनांक........................　　*आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान*

डाक का पता....................................

मैं घोषणा करता हूँ कि में वार्ड संख्या...की नामावली के भाग संख्या.......................................में क्रम-संख्या....................................पर नामांकित किया गया एक निर्वाचक हूँ। मैं इस आपत्ति का समर्थन करता हूँ और उस पर प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

दिनांक..........................　　*निर्वाचक के हस्ताक्षर*

(पूरा नाम)...................................

प्रपत्र 2

(नियम 14 (4) देखिये)

दावों और आपत्तियों की सूची के लिये प्रपत्र

नगर निगम.......................................

वार्ड..

दावों और आपत्तियों की सूची

दावा/आपत्ति की क्रम-संख्या	प्रस्तुत करने का दिनांक	दावेदार/आपत्तिकर्ता का नाम	विनिश्चय का दिनांक	परिणाम
1	2	3	4	5